NEWS LETTER

December 2021

M.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, JABALPUR, M.P.

Celebrating World AIDS Day
(01.12.2021)

MPSLSA Organised an"Awareness And Health Check-Up Camp" for the transgender community on the occasion of World AIDS Day

Today on December 01, 2021, under the guidance of Hon'ble Chief Justice and Patron-in-Chief, Madhya Pradesh State Legal Services Authority, Shri Ravi Malimath and Hon'ble Administrative Judge, M.P. High Court & Executive Chairman, M.P. State Legal Services Authority, Shri Sheel Nagu "World AIDS Day" was celebrated by Madhya Pradesh State Legal Services Authority.

TheHitavada

MPSLSA holds awareness, health camp for transgenders

On the said occassion, an "Awareness And Health Check-Up Camp" was organized for Transgenders by the Madhya Pradesh State Legal Services Authority in coordination with the Health Department and Short video films related to AIDS disease were also screened. Transgender community were made aware about the prevention of AIDS and also their health check-up were done.

On this occasion, Member Secretary, Shri Rajiv Karmahe said that all possible efforts would be made to solve the problems of transgender community and to avail the benefits of beneficial schemes related to them by establishing necessary coordination with the concerned departments and also efforts are necessary to bring the transgender community in mainstream of the society. Further, information was given to organize awareness and sensitization programs across the State from time to time in future to increase their acceptance among the general public.

In this sequence, Chief Health and Medical Officer, Shri Ratnesh Kuraria gave detailed information regarding the side effects of AIDS and its consequences. Dr. Shri Dheeraj Davande D.N.O. AIDS Control gave information about schemes related to HIV. Shri Jitendra Mohan Dhurve, District Legal Aid Officer gave information regarding provisions of AIDS (Prevention and Control Act 2017). Mr. Abdul Rahim, Kashish Chauhan and Mr. Brijmohan all members of transgender community apprised about the experiences of the transgender community and the difficulties faced by them in daily life.

> **"You Can't get AIDS from a hug or a handshake Or a meal with a friend"**

Mr. Atish Srivastava, Program Officer gave information about the prevention, treatment and measures of AIDS. The said program was conducted by Shri Manoj Kumar Singh, Additional Secretary and detailed information was given about the landmark Judgments regarding the transgender community and various social and other aspects related to them.

In the above Program, Shri Rajiv Karmahe, Member Secretary, Shri Manoj Kumar Singh Additional Secretary, Shri Arvind Shrivastava, Deputy Secretary, Shri Ratnesh Kuraria, CMHO, Dr. Shri Dheeraj Davande D.N.O. AIDS Control, Mr. Zeeshan Khan & Jitendra Mohan Dhurve- District Legal Aid Officer, Mr. Atish Srivastava, Program Officer HIV. AIDS, Manisha Patel Program Manager- Jagriti Yuva Manch Samiti, N.G.O. and members of transgender community were also present.

Various DLSAs organized awareness camp on the occasion of World Aids Day. In these camps secretaries of DLSAs giving extensive information about Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) and informed that now AIDS is curable. AIDS is more a social illness rather than a physical problem which needs to be handled very sensitively.

फिल्म से ट्रांसजेंडर्स को किया जागरूक

विश्व एड्स दिवस पर आयोजन

ट्रांसजेण्डर को मुख्य धारा में लाने प्रदेश स्तर पर जागरूकता के साथ संवेदीकरण कार्यक्रम भी होंगे : राजीव कर्महे

2 जबलपुर, गुरूवार 2 दिसम्बर ,2021

नवभारत

स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन

मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के न्यायमूर्ति रवि मालिमथ, मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायमूर्ति शील नागू प्रशासनिक न्यायाधिपति, के मार्गदर्शन में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से जागरूकता एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एड्स रोग से संबंधित लघु वीडियो फिल्मों का प्रदर्शन किया गया।

Glimpses of Aids Day Celebrated at DLSAs across the State

ALIRAJPUR

ANUPPUR

ASHOKNAGAR

BALAGHAT

BARWANI

BHOPAL

BETUL

BHIND

BURHANPUR

CHHATARPUR

CHHINDWARA

DAMOH

DATIA

DEWAS

DHAR

DINDORI

GUNA

GWALIOR

HARDA

HOSHANGABAD

INDORE

JABALPUR

JHABUA

KHANDWA

KATNI

MANDLA

MANDLESHWAR

MANDSAUR

MORENA

NARSINGHPUR

NEEMUCH

PANNA

RAISEN

RAJGARH

RATLAM

REWA

SAGAR

SATNA

SEHORE

SEONI

SHAHDOL

SHAJAPUR

SHEOPUR

SHIVPURI

SIDHI

SINGRAULI

TIKAMGARH

UJJAIN

UMARIA

VIDISHA

DRAWING, ESSAY, SLOGAN & RANGOLI COMPETITION ON WORLDS AIDS DAY

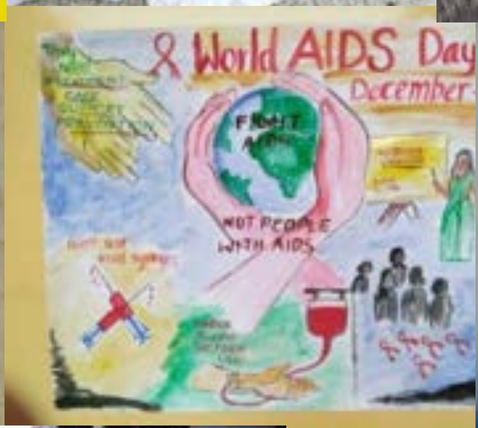

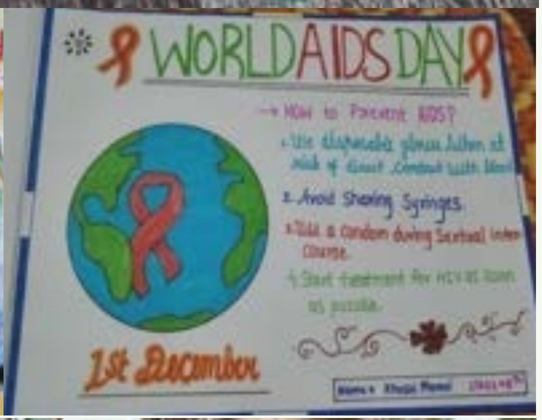

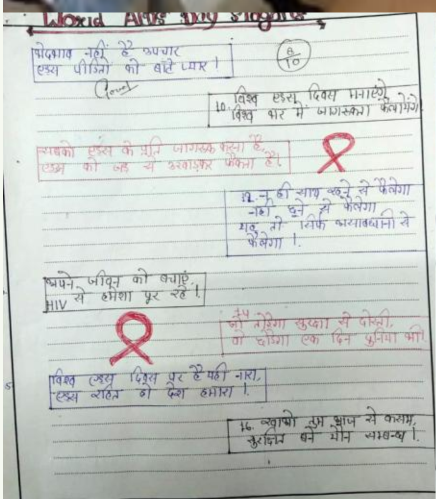

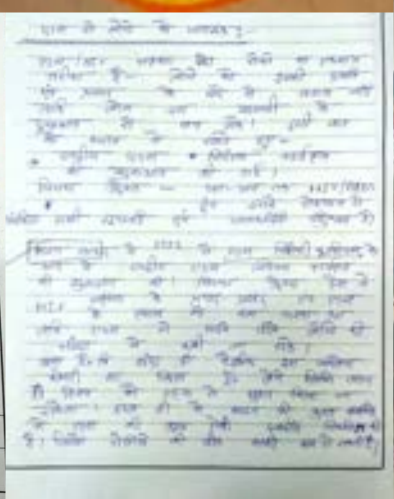

Celebrating International Disability Day (03.12.2021)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा दिनांक 03.12.21 को विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर सामाजिक न्याय विभाग एवं एन.जी.ओ. के समन्वय से मूक बधिर विद्यालयों, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों हेतु आश्रमों में विधिक साक्षरता शिविरों, स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों, बच्चों के लिये सांस्कृतिक कार्यक्रम, चित्रकला प्रतियोगितायों एवं अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आमजन को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं शासन की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करते हुए पेंपलेट्स प्रदान किये गये। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा दिव्यांगजन के विधिक अधिकारों एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों एवं बालकों के लिये पर मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 एवं नालसा मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाऐं योजना–2015 के तहत भी शिविरों का आयोजन कर बिस्किट एवं फलों का वितरण किया गया। इसके साथ ही कृत्रिम अंगों के प्रत्यारोपण हेतु कार्य कर रही संस्थाओं की जानकारी दी गई।

विश्व दिव्यांग दिवस
2021
Google
Seoni, Madhya Pradesh, India
Shop Number 12, Bada Mission School Complex, Barghat Rd, PWD Colony, Barapatthar, Seoni, Madhya Pradesh 480661, India
Lat 22.090295°
Long 79.550614°
03/12/21 03:33 PM

कार्यालय

Celebrating International Human Rights Day (10.12.2021)

विश्व मानवाधिकार दिवस दिनांक 10.12.2021 के अवसर पर समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया, इस अवसर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के साथ–साथ संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों की जानकारी देते हुए कर्त्तव्य के संबंध में जागरूक किया गया।

10 दिसंबर

मानवाधिकार दिवस
OPPO Reno6 5G
2021/12/10 14:05

विधिक साक्षरता शिविर
REDMI NOTE 9 PRO
AI QUAD CAMERA

REDMI NOTE 5 PRO
MI DUAL CAMERA
2021/12/10 13:56

National Lok Adalat

REMARKABLE NUMBER OF CASES DISPOSED IN NATIONAL LOK ADALAT ON 11th DECEMBER 2021

TheHitavada

National Lok Adalat in all courts today

Under the direction of National Legal Services Authority (NALSA), the last National Lok Adalat of the year 2021, was organized on **11th December 2021** across the State under the able guidance of Hon'ble Shri Justice Ravi Malimath, the Chief Justice & Patron-in-Chief, Madhya Pradesh State Legal Services Authority and Hon'ble Shri Justice Sheel Nagu, the Executive Chairman, Madhya Pradesh State Legal Services Authority-Jabalpur. In the State of Madhya Pradesh, **1376** Benches for National Lok Adalat were constituted from Districts upto Taluka level and **17** benches were constituted at High Court level. As per information received, around **1,24,562** cases including **36,457** pending matters and **88,105** Pre-litigation matters were successfully resolved resulting in settlement amount of **Rs. 544,51,13,349/-** approx. In this National Lok Adalat approx **4,935** MACT (Motor Accident Claim) cases amount of **Rs. 142,04,06,998/-** and **5,719** Electricity act cases amount of **Rs. 10,72,87,549/-** were settled.

Hon'ble High Court at Principal Seat- Jabalpur & Benches at Indore & Gwalior also organized National Lok Adalat and around **1278** cases were settled through mutual consent.

As the numbers of pending cases have increased due to Covid-19 pandemic, MPSLSA prepared a strategy to settle maximum number of cases through Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanism. In pursuance of that, Legal Services Authorities conducted several meetings with various stakeholders at every level with an objective to ensure maximum co-operation and co-ordination. It has also been ensured that District Authorities shall follow a litigant friendly approach as well as persuade parties of such litigations in which propositions of law are involved to settle the cases in National Lok Adalat.

National Lok Adalat was organized across the State including Principal Seat Jabalpur & Benches at Gwalior & Indore of Hon'ble the High Court of M.P. and at all the District Courts, Taluka Courts, Labour Courts, Family Courts and other courts/tribunals in the State. Under the supervision of Hon'ble the Patron in Chief and guidance of the Hon'ble the Executive Chairman of MPSLSA, the figure of disposed cases tremendously increased in comparison of earlier National Lok Adalats of the year 2021 organized in the State.

The success is attributable to the leadership of Hon'ble Shri Justice Ravi Malimath, the Chief Justice & Patron-in-Chief, Madhya Pradesh State Legal Services Authority and motivation & guidance of Executive Chairman, MPSLSA Hon'ble Shri Justice Sheel Nagu. Under his Lordship's constant guidance, Shri Rajiv Karmahe, Member Secretary, MPSLSA, Shri Manoj Kumar Singh, Additional Secretary, Shri Arvind Shrivastava, Deputy Secretary and Senior Officials of the MPSLSA, conducted several meetings with all Insurance Companies, Bankers, Secretaries, Family Court Judges and all the Presiding Officers of the Labour Courts. Result of which has appeared in the present National Lok Adalat.

Shri Rajiv Karmahe, Member Secretary, MPSLSA, also emphasized that quick disposal of cases also give strength to our economy, he also apprised that along with Courts, tribunals and Legal Services Institutions, Members of the BAR, Print & Electronic Media and PLVs played a major role for wide publicity and in reaching to the common people spreading the message of organization of Lok Adalat on **11th December 2021** and to obtain early, easy & accessible justice by mutual understanding.

70 हजार से अधिक प्रकरणों का किया गया निराकरण

नेशनल लोक अदालत में वर्षों के गिले-शिकवे चंद मिनटों में हुए दूर

TheHitavada

70,111 court cases, matters at pre-litigation stage disposed of in National Lok Adalat

पक्षकारों को मिला त्वरित न्याय, खिल उठे चेहरे

Statistical Data of National Lok Adalat

With a view to resolve disputes of parties, the M.P. SLSA designed formats for conducting e-Lok Adalat. Accordingly, Special Lok Adalats for all matters through hybrid mode was scheduled on **11.12.21** at the High Court and District Court level.

Disposal at High Court Level

No. of cases taken up	Number of cases disposed	Settlement Amount	Benefitted persons
3016	1278	7,48,30,724/-	4979

Disposal at Distt. Court Level

No. of cases taken up	Number of cases disposed	Settlement Amount	Benefitted persons
752952	123284	5,37,02,82,625/-	1019094

Total Disposal (High Court + District Court)

No. of cases taken up	Number of cases disposed	Settlement Amount	Benefitted persons
755968	124562	5,44,51,13,349/-	1024073

Disposal at Real Estate Regulatory Authority

No. of cases taken up	Number of cases disposed	Settlement Amount	Benefitted persons
63	30	3,57,94,973/-	30

The natures of matters disposed through online mode are MACT, NI Act, Civil Disputes and Criminal Compound matters.

Success Story of National Lok Adalat

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलीराजपुर

पति-पत्नी के मध्य हुआ समझौता

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर की खण्डपीठ द्वारा कुटुम्ब न्यायालय में लंबित दाम्पत्य विवाद के विविध प्रकरण क्रमांक 17/2020 में समझौता कराया गया।

अलीराजपुर जिले के ग्राम–अजन्दा निवासी महिला का अपने पति से पिछले लगभग एक वर्ष से मतभेद चल रहा था। आवेदिका व पुत्रों के भरण पोषण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था।

दिनांक 11.12.2021 को नेशनल लोक अदालत में पीठासीन अधिकारी द्वारा पति–पत्नी को पृथक–पृथक एवं संयुक्त रूप से समझाया गया, जिससे पति–पत्नी आपसी सहमति से समझौता हेतु तैयार हुए। आपसी समझौता होने पर दोनों दम्पति ने आपस में फूल माला पहनाई एवं राजी–खुशी घर लौटे तथा उन्हें समझौता फलस्वरूप फलदार वृक्ष का पौधा भी भेंट किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,छतरपुर

ग्राम भगवंतपुरा, थाना ओरछा रोड छतरपुर निवासी आवेदिका पत्नी का विवाह शक्ति मॉ कॉलोनी, डिसलरी रोड़ नौगांव निवासी पति से हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार लगभग 8 साल पूर्व हुआ था। आवेदिका के पिता ने अपनी लड़की को विवाह में 51000/– नगद एक मोटर साईकिल तथा दहेज का पूरा सामान लगभग 4–5 लाख रूपये का दिया था, लेकिन शादी के बाद आवेदिका के ससुराल वालों ने आवेदिका पर दहेज कम लाने का दबाव बनाना एवं बेटा न होने के कारण आवेदिका को शारीरिक एवं मानसिक प्रताडना देने लगे तथा और पैसों की मांग करने लगे। ससुराल वालों की प्रताडना के कारण आवेदिका ने कुटुम्ब न्यायालय जिला छतरपुर में वर्ष 2020 में धारा 125 द.प्र.सं. का प्रकरण दायर करवाया तब से लेकर निरतंर प्रकरण चल रहा था। अतः आवेदिका का प्रकरण आज दिनांक 11.12.2021 को नेशनल लोक अदालत में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय की गठित खण्डपीठ के समक्ष रखा गया, जिसमें उभयपक्षों को खण्डपीठ क्रमांक 01 के पीठासीन अधिकारी एवं सदस्यों द्वारा दोनो पक्षों को समझाईश दी गई दोनो पक्ष राजीखुशी से साथ रहने हेतु तैयार हुए ।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झाबुआ

कोरोना से पति की मृत्यु होने के बाद अपने अधिकार के लिए लड़ी पत्नी और पुत्र को मिला उसका हक

जिला अलीरापुर की तहसील थांदला का रहा जिसमें आवेदिका ने अपनी पति की कोविड से मृत्यु होने पर अपने हक और अधिकार के लिए जिला न्यायालय में प्रधान जिला न्यायाधीश की खण्डपीठ के सम्मुख करीब 3 करोड़ 83 लाख रूपये का दावा लगाया। यह दावा विगत 2 दिसम्बर को लगाया गया था और इसमें वादी की ओर से प्रकरण की पैरवी तथा प्रतिवादी अर्थात श्रीमती सुमन कारा के सुसर कैलाश और देवर वैभव कारा की ओर से प्रकरण का संचालन अधिवक्ता थांदला द्वारा किया गया। महज 9 दिन के भीतर ही यह मामला निराकृत हुआ। जिसमें शनिवार को वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत में यह निर्णय हुआ कि पति की मृत्यु के बाद उसके पुत्र के नाम से करीब 2 करोड़ राशि की एफडी करवाई जाएगी साथ ही पत्नी सुमन को भी अधिकार प्रदान करते हुए उनके बैंक अकाउंट में उचित धनराशि जमा करवाए जाने के साथ ही उनकी पत्नी के नाम से मकान दान–पत्र में देने की कार्यवाही भी होगी। जिस पर दोनों पक्षों की सहमति बनी।

जमीन को लेकर हुए विवाद में तीन भाईयों ने गले मिलकर झगड़ा किया समाप्त

ग्राम नाहरपुरा में जमीन को लेकर तीन भाईयों के बीच विवाद हो गया था, इसमें फरियादी के रूप में नागला डामोर ने जिला न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया, जिसमें नेशनल लोक अदालत में तीनों भाईयों के बीच सुलह–समझौता हुआ और उन्होंने प्रधान जिला न्यायाधीश के समक्ष गले मिलकर एक–दूसरे को पुष्पहार पहनाकर अपने सारे गिले शिकवे दूर किए एवं तीनों भाईयों को भविष्य में कभी झगड़ा नहीं करने पर समझाईस देकर न्याय के रूप में पौधे भेंट किये गये।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन

विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 44/2018 में आवेदिका अपने पति के साथ अपने ससुराल कोलुआ में निवास करती थी। आवेदिका जब गर्भवती थी तब उसके पति ने उसे मारपीट कर निकाल दिया था। विगत 4–5 साल से आवेदिका एवं उसके बच्चे अपने पिता के यहां निवास कर रहे थे। दिनांक 11/12/2021 लोक अदालत में आवेदिका द्वारा अपने पति से भावनात्मक लगाव होना व्यक्त किया, पर साथ ही मन में डर की भावना होना बताया कि कहीं उसका पति वापस नशाखोरी की आदतों में लगकर उसके बच्चों के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं करेगा। अध्यक्ष, तहसील विधिक सेवा समिति सिलवानी द्वारा अनावेदक को समझाया गया कि परिवार के दायित्वों को पूर्ण निर्वहन किया जाना आवश्यक है। अनावेदक पति ने भी बताया कि वह परिवार के लिये अच्छा करना चाहता है पर बेरोजगारी के चलते परिवार के साथ दुर्व्यवहार कर बैठा एवं उसके बाद कभी भी आवेदिका पत्नि से ठीक से संवाद नहीं किया। अनावेदक द्वारा आवेदिका को आश्वासन दिया गया कि भविष्य में ऐसी कोई शिकायत नहीं आने देगा एवं आवेदिका से माफी मांगी। पीठासीन अधिकारी, खण्डपीठ के सदस्यों द्वारा आवेदिका के अधिवक्ता के माध्यम से उभयपक्ष को समझाइश देकर नेशनल लोक लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का राजीनामा कर दोनों पक्षकार आपसी मतमुटाव भुलकर साथ रहने के लिए तैयार हुए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, होशंगाबाद

पत्नि की कैंसर से मृत्यु के पश्चात् पिता ने पुत्री को अपनाया उसके जीवन निर्वह की जिम्मेदारी उठाने हुआ राजी

नेशनल लोक अदालत दिनांक 11.12.2021 को कुटुम्ब न्यायालय में वर्ष 2019 से लंबित एक ऐसे प्रकरण का निराकरण किया गया, जिसमें पिता ने अपनी पत्नि एवं 02 पुत्रियों को घर से निकाल दिया था। पत्नि ने अपने पति के विरूद्ध भरण–पोषण का दावा 13 अगस्त 2019 को लगाया, किंतु पत्नि को कैंसर की बीमारी थी, जिसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। मॉ की कैंसर से मृत्य हो जाने के पश्चात् पुत्री ने अपने पिता के विरूद्ध भरण–पोषण का दावा लगाया, कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा पिता और पुत्री को समझाईश दी जिसके पश्चात् पिता अपनी पुत्री को अपने साथ रखने, उसके भरण–पोषण, जीवन निर्वहन एवं विवाह समारोह की समस्त जिम्मेदारियां उठाने के लिए राजी हो गये है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीधी

21 वर्षों से चल रहे सिविल विवाद में हुआ समझौता

जिला सीधी की तहसील गोपदबनास के पक्षकारगण के मध्य जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद था। विवाद न्यायालय में विगत 21 वर्षों से विचाराधीन था। यह विवाद ग्राम पडखुरी तथा ग्राम हड़बड़ों में स्थित 67 एकड़ भूमि का था तथा विवाद इतना अधिक हो गया था कि एक ही परिवार के चारों भाईयों में आपसी व्यवहार समाप्त हो चुका था। प्रधान जिला न्यायाधीश के द्वारा उभय पक्षों को दी गई समझाईश एवं प्रयास तथा विशेष न्यायाधीश अधिवक्ता द्वारा किये गये सहयोग के आधार पर सभी भाईयों ने अपने बीच के मतभेद समाप्त कर लिये तथा जमीन के बंटवारे पर नेशनल लोक अदालत में राजीनामा कर लिया। उनके मध्यम पुनः भाईचारा स्थापित हो गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीहोर

05 माह की गर्भवति महिला के विवाद का राजीनामे के माध्यम से किया अंत

नेशनल लोक अदालत में एमजेसी प्रकरण में आवेदिका को उसके पति द्वारा प्रताड़ित कर तीन माह से छोड़ रखा था, जिससे परेशान होकर आवेदिका द्वारा कुटुम्ब न्यायालय में भरण–पोषण का प्रकरण दर्ज कराया था, आवेदिका की एक पुत्री है तथा आवेदिका वर्तमान में 05 माह की गर्भवती है। उक्त प्रकरण में न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा कई बार समझाईश दी जाकर प्रकरण का निराकरण किया गया। राजीनामा होने से दोनों पक्ष खुश हुये और यह भी व्यक्त किया कि वह अब कभी नहीं लड़ेगे तथा सुखमय दाम्पत्य जीवन व्यतीत करेंगे। इस प्रकार लोक अदालत के माध्यम से एक बनते हुए परिवार को बिगडने से बचा लिया गया।

Preparation of National Lok Adalat

जिला एवं सत्र न्यायालय,
जिला न्यायालय-धार

नेशनल लोक अदालत

नेशनल लोक अदालत
आयोजन दिनांक 11 दिसम्बर 2021

Glimpses of National Lok Adalat

विधिक सहायता एवं विधिक परामर्श केन्द्र
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला
आपका हार्दिक अभिनंदन करता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
नीमच (म.प्र.)
हैल्प डेस्क
- सम्पर्क -

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA
2021/12/11 13:55

लोकोपयोगी सेवाओं के लिये स्थायी लोक अदालत

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला में उपस्थित होकर निर्मला हायर सेकेण्डरी विद्यालय मण्डला की प्राचार्य द्वारा उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि उनके स्कूल के समक्ष मुख्य द्वार पर नगर पालिका द्वारा निर्मित नाली के चेंबर टूट गए है जिसकी कई बार शिकायत के बावजूद सुधार कार्य नहीं किया गया है। उक्त आवेदन को रजिस्टर्ड किया जाकर जनउपयोगी लोक अदालत के माध्यम से नगर पालिका मण्डला को निर्देशित किया गया कि उक्त कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करवाया जाये, जिसके तारतम्य में किया जाकर अवगत कराये जिस पर नगर पालिका मण्डला द्वारा त्वरित उन चैम्बरों का निर्माण कार्य कराया गया।

स्कूल के सामने जानलेवा गड्ढा नपा ने किया बंद

भास्कर न्यूज, मंडला|

जिला मुख्यालय मण्डला में बस स्टैंड के समीप स्थित निर्मला हायर सेकेण्डरी स्कूल के मेन गेट के सामने मेन रोड़ पर नाली का चेम्बर सर्कल में खुला था जिसके कारण किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना सकती थी, नपा के द्वारा इस गड्ढे को जनउपयोगी लोक अदालत से नोटिस मिलने के बाद बंद कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत विधिक जागरूकता शिविर स्कूल में आयोजित किया गया था इस दौरान शाला प्रबंधन द्वारा जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डॉ प्रीति श्रीवास्तव को समस्या के संबंध में बताया गया, जिला न्यायाधीश ने समस्या को लोकोपयोगी सेवा की लोक अदालत में रखा तथा नगरपालिका एवं लोक निर्माण विभाग को नोटिस देकर तलब किया गया एवं दोनों ही विभागों को नाली का चेम्बर (गढ्ढे) को तत्काल बंद करने के निर्देश दिये। आदेश का पालन करते हुये नगर पालिका द्वारा उक्त गढ्ढे बंद कर दिये गये है। इस प्रकार लोकोपयोगी सेवाओं की लोक अदालत के माध्यम से जनसामान्य से जुड़े मामलों का त्वरित गति से निराकरण किया जा रहा है।

जनउपयोगी लोक अदालत के निर्देश पर स्कूल के सामने का गड्ढा बंद किया गया

गड्ढे के सामने स्टापर लगाकर सुरक्षित किया गया। ● नईदुनिया

मंडला (नईदुनिया न्यूज)। जनउपयोगी लोक अदालत के माध्यम से निर्मला हायर सेकंडरी स्कूल के सामने नाली में बना जानलेवा गड्ढा बंद कराया गया। जिला मुख्यालय मंडला में बस स्टेंड के समीप स्थित निर्मला हायर सेकंडरी स्कूल के मेन गेट के सामने मेन रोड पर नाली का चेंबर सर्कल में खुला हुआ था। जिसके कारण किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना कारित हो सकती थी। शाला में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया था। इस दौरान शाला प्रबंधन द्वारा जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडला डॉ प्रीति श्रीवास्तव को उक्तसमस्या के संबंध में बताया गया। जिला न्यायाधीश ने उक्तसमस्या को लोकोपयोगी सेवा की लोक अदालत में रखा तथा नगरपालिका एवं लोक निर्माण विभाग को नोटिस देकर तलब किया गया। दोनों ही विभागों को नाली का चेंबर को तत्काल बंद करने के निर्देश दिए। उक्तआदेश का पालन करते हुए नगर पालिका द्वारा गडढे को बंद कराया गया। इस प्रकार लोकोपयोगी सेवाओं की लोक अदालत के माध्यम से जनसामान्य से जुडे; मामलों का त्वरित गति से निराकरण किया जा रहा है।

मध्यस्थता योजना

सामुदायिक मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर

माननीय अध्यक्ष महोदय उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर द्वारा सामुदायिक मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने के पूर्व दिनांक 11/11/2021 को विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक समूहों एवं संगठनों के प्रबुद्धजनों एवं पदाधिकारियों का बैठक आयोजित कर समाज में व्याप्त विवादों को प्रारंभिक स्तर पर निराकरण किये जाने हेतु प्रेरित किया गया।

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजय पॉल प्रशासनिक न्यायाधिपति/अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर एवं माननीय न्यायाधिपति/अध्यक्ष, मीडिएशन मॉनीटरिंग सब–कमेटी इन्दौर, श्री विवेक रूसिया द्वारा उपस्थित गणमान्य नागरिकों के समक्ष यह व्यक्त किया गया कि यदि समाज के प्रतिष्ठित/प्रबुद्ध व्यक्ति समाज में व्याप्त पारिवारिक एवं अन्य भावनात्मक विवादों के प्रारंभिक स्तर पर मध्यस्थता के माध्यम से निराकरण हेतु सहयोग प्रदान करेंगे तो न केवल न्यायालय के समक्ष आने वाले प्रकरणों की संख्या में कमी होगी अपितु कई परिवार टूटने से बच जाएँगें ।

उक्त बैठक में उपस्थित प्रबुद्धजनों द्वारा अपने समाज के ऐसे प्रबुद्धजनों का चयन कर प्रशिक्षण हेतु नाम उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इन्दौर को दिये जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की गई तथा प्रत्येक समाज से 5 से 10 नामों का प्रस्ताव सामुदायिक मध्यस्थता वालेंटियर के रूप में प्रषिक्षण प्राप्त किये जाने हेतु प्रेषित किया गया।

माननीय न्यायाधिपति श्री विवेक रूसिया, म0प्र0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर एवं चेयरमैन, उच्च न्यायालय मीडिएशन मॉनीटरिंग सब–कमेटी, खण्डपीठ इन्दौर द्वारा 7

दिवसीय सामुदायिक मध्यस्थता प्रषिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ (दिनांक 28 नवम्बर 2021) मीडिएशन मॉनीटरिंग सब–कमेटी इन्दौर के सदस्यगण श्री सुनील गुप्ता, श्री सूरज शर्मा, मास्टर ट्रेनर्स श्रीमती गिरिबाला सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल, श्री राजीव कर्महे, सदस्य सचिव, म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर, डॉ. मो0 शमीम पोटेंषियल ट्रेनर एवं श्रीमती आरती शर्मा पोटेंशियल ट्रेनर, प्रिंसिपल

रजिस्ट्रार/सचिव, ओ.एस.डी/रजिस्ट्रार एवं रजिस्ट्रार (एम) की उपस्थिति में किया गया।

उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री विवेक रूसिया द्वारा प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा गया कि प्रारंभिक स्तर पर विवादों के निराकरण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन एक अच्छी शुरुआत है ।

प्रषिक्षण सत्र की शुरूआत करते हुए पोटेंशियल ट्रेनर श्री राजीव कर्महे, सदस्य सचिव म0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए सभी प्रतिभागियों को विषय–वस्तु से अवगत कराया। पोटेंशियल ट्रेनर श्रीमती गिरिबाला सिंह द्वारा सभी प्रतिभागियों को संघर्ष की प्रकृति एवं मनोविज्ञान, संघर्ष प्रबंधन, मध्यस्थता के लाभ, मध्यस्थों की भूमिका, सुलहकर्ता एवं अधिनिर्णायक से मध्यस्थ की भिन्नता एवं गुण के संबंध में प्रषिक्षण दिया।

प्रषिक्षण कार्यक्रम के दौरान, पोटेंशियल ट्रेनर डॉ. मोहम्मद शमीम तथा पोटेंशियल ट्रेनर श्रीमती आरती शर्मा द्वारा मध्यस्थता प्रक्रिया और चरण के अन्तर्गत परिचय, समझौता सफल एवं असफल, उद्घाटक कथन, संयुक्त सत्र एवं बैठक, मध्यस्थता में संचार, संचार कौषल , पक्षकारों के शारीरिक हाव–भाव एवं उनसे सही प्रष्न पूछने के तरीकों, समझौता वार्ता, सौदेबाजी, गतिरोध, गतिरोध प्रबंधन, आदि विषयों के बारे में जानकारी प्रदाय की गई । प्रतिभागियों को दो ग्रुप में विभाजित कर कृत्रिम अभ्यास भी कराया गया। मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझाने के उद्देष्य से डॉ. खालिदा दुधाले, प्रोफेसर एवं मनोवैज्ञानिक, न्यू जी. डी.सी. कॉलेज इन्दौर द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

प्रषिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन, दिनांक 04/12/2021 को विषय–वस्तु का पुनरावलोकन कराते हुए कृत्रिम अभ्यास के माध्यम से प्रतिभागियों के कौषल का परीक्षण किया गया तथा समझौता अनुबंध लेखन का अभ्यास कराया गया। श्री बी. के. द्विवेदी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार/सचिव द्वारा श्री नवीन पाराषर, ओ.एस.डी/रजिस्ट्रार, श्री ए. व्ही. मण्डलोई, रजिस्ट्रार(एम), श्री मनीष श्रीवास्तव, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इन्दौर तथा अन्य गणमान्य सभाजनों की उपस्थिति में समाज में सौहार्द्र एवं समरसता को बढ़ावा देते हुए निःषुल्क एवं निष्पक्ष मध्यस्थता कराये जाने के उद्देष्य से सभी प्रतिभागियों को शपथ/प्रतिज्ञा दिलाकर उक्त कार्यक्रम का समापन किया गया तथा प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र का वितरण भी किया गया।

मध्यस्थता से संबंधित सफलता की कहानियां....

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल में दिनांक 30.09.2021 को न्यायालय चौदहवें जिला न्यायाधीश द्वारा एक प्रकरण मध्यस्थता के माध्यम से निराकरण किये जाने हेतु प्राप्त हुआ था। उक्त प्रकरण को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल द्वारा मध्यस्थ/पच्चीसवें जिला न्यायाधीश को मध्यस्थता हेतु रेफर किया गया ।

न्यायाधीश श्रीमती तृप्ति पाण्डेय के न्यायालय मे सिविल प्रकरण में आवेदक श्री मुकेश कुमार सूरी एवं अन्य 4 विरूद्ध श्री मनीष सक्सेना एवं अन्य 2 के लंबित प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य जमीनी विवाद में राशि रूपये 1,56,00,000/– का विवाद चल रहा था। उक्त प्रकरण से संबंधित 21 आपराधिक प्रकरण (भारतीय परक्राम्य लिखित अधिनियम), 3 सिविल प्रकरण, 1 अपंजीकृत परिवाद प्रकरण एवं माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई 9 याचिकाएं लगी हुई थी। इस प्रकार कुल 34 प्रकरण उभयपक्ष के मध्य न्यायालय में लंबित चल रहे थे।

उभयपक्ष के मध्य दिनांक 07.12.2021 को अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल श्रीमती गिरिबाला सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं 25वें जिला न्यायाधीश श्री की उपस्थिति में एक ही पक्षकारगण के मध्य लंबित 34 प्रकरणों में मध्यस्थता के माध्यम से सुलह कार्यवाही करते हुए सुलह अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित कर प्रकरणों का निराकरण किया गया ।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डला

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला में उपस्थित होकर आवेदक पति द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि उसकी पत्नी आपसी मतभेद को लेकर अपने मायके चली गई है। प्रस्तुत आवेदन को रजिस्टर्ड किया जाकर दोनों पक्षों को बुलवाया गया एवं उन्हें उन्हें एक माह साथ में रहकर समय व्यतीत करने की समझाईश दी गई। तत्पश्चात दिनांक 23.12.2021 को दोनों पति–पत्नी को कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में बुलवाया गया, जिसमें उनके द्वारा यह व्यक्त किया गया कि अब हमारे बीच में कोई आपसी मतभेद नहीं है। इस प्रकार मध्यस्थता के माध्यम से एक परिवार को बिखरने से बचाया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शाजापुर

श्रीमती कृष्णा देवी द्वारा अपने पुत्र एवं पुत्र वधू के साथ संपत्ति विवाद में बेटा–बहू के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था तथा श्रीमती कृष्णा देवी की बहू द्वारा भी एक आवेदन पत्र सास–ससुर द्वारा उसे प्रताड़ित करने, घर से बाहर निकाल देने की धमकी देने व दहेज के लिए परेशान करने के संबंध में प्रस्तुत किया गया गया। जिसके संबंध में उभयपक्ष को बुलाकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समझाईस दी गई। दो दिवसीय लगातार समझाईश दिए जाने के उपरांत सास–ससुर एवं पुत्र तथा पुत्र वधू के मध्य आपसी समझौता कराया जाकर बुजुर्ग दंपत्ति के परिवार को टूटने से बचाया गया।

MEDIATION AWARENESS PROGRAMMES BY DLSAS

मीडिएशन जागरूकता कार्यक्रम
2021-12-17(Fri) 04:15(PM)

मीडिएशन जागरूकता शिविर
मीडिएशन जागरूकता शिविर
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला न्यायालय, मण्डला

Reaching out to Jail Inmates

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ग्वालियर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर द्वारा आयोजित जेल निरीक्षण के दौरान जेल प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया कि जेल में दण्डित बंदियो के बैंक खाते खुलवाये जाने हेतु काफी समय से प्रयास किये जाने उपरांत भी बैंक प्रबंधन द्वारा सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा है, जिससे दण्डित बंदियो द्वारा जेल में निरूद्व अवधि के दौरान किये गये कार्यो का भुगतान किये जाने में काफी परेशानी आ रही है। जिसके पश्चात् सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्वालियर द्वारा तत्काल जेल के समीपस्थ स्थित पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारीगण से चर्चा कर जेल में निरूद्व बंदियो के बैंक खाते खुलवाये जाने हेतु सहयोग किये जाने हेतु कहा गया, जिसके पश्चात् बैंक प्रबंधन द्वारा तत्काल खाते खुलवाये जाने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियो को निर्देशित किया गया। वर्तमान में लगभग 100 से अधिक दण्डित बंदियों के खाते खुल चुके है तथा अन्य बंदियो के बैंक खाते खुलवाने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कटनी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी द्वारा दिनांक 30.11.2021 को जिला जेल कटनी का निरीक्षण एवं साक्षरता शिविर किया गया, जिसमे जेल में निरूद्ध बंदियों की समस्याओं को सुनते हुये उनके निराकरण हेतु जिला जेल कटनी के अधिकारीगण को आवश्यक निर्देश प्रदान किये। शिविर के दौरान बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता योजना, प्ली–बार्गेनिंग एवं अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जनकारी प्रदान की।

जेल निरीक्षण के दौरान सचिव द्वारा जिला जेल कटनी की अधीक्षक से जेल बंदियों के बौद्धिक विकास हेतु जेल की उपयोगहीन भूमि को गार्डन के रूप में विकसित कर उसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां तथा पुष्प पौधों को रोपित कराये जाने अनुरोध किया था, जिस पर से जेल अधीक्षक द्वारा उक्त कार्य में रूचि लेते हुये जेल बंदियों की सहायता से जेल में मौजूद उपयोगहीन भूमि में विभिन्न प्रकार की सब्जियां लगवायी गयी एवं उक्त सब्जियों का उपयोग जेल में स्थित रसोई घर में किया जाने लगा।

Camp & Jail Inspection by DLSAs

विधिक साक्षरता शिविर

Working for Enviornment

Panch 'J'

Preserving Our Beautiful Blue Planet

The concept of 'Panch J" i.e. Jal (Water), Jungle (Forest), Jameen (Land), Jan (People) and Jaanwar (Animals) was revisited keeping in view relevant schemes of NALSA are (Effective implementation of Poverty alleviation) Scheme 2015 & NALSA (Protection & Enforcement of Tribal Rights) Scheme 2015. Madhya Pradesh has a large tribal and agrarian population. This has been addressed by Legal Services Institutions at two levels

(a) Needs of those persons whose livelihood is dependent on the environment.

(b) Preserving, protecting and rejuvenating the environment essential to maintain the ecosystem.

Apart from organized tree plantation programmes in coordination with Officers and Officials of the government, DLSAs have taken on the responsibility to prepare monthly reports on activities while spreading the message of Consume less, compost food waste, choose reusable over single-use and creatively re-cycle.

मां नर्मदा के तटों पर
संरक्षण एवं स्वच्छता अभियान का आयोजन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा (म0प्र0) द्वारा दिनांक 17.12.2021 को मांधाता (औंकारेश्वर) स्थित नागर घाट व अभय घाट पर नगर परिषद मांधाता की स्वच्छता टीम व नागर घाट के स्वयंसेवी संगठन के समन्वय से नर्मदा स्वच्छता अभियान की मॉनीटरिंग का कार्य संपादित किया गय।

इस अवसर पर घाटों पर साफ–सफाई की गई, उपस्थित लोगों को घाटों पर कचरा न फेंकने व घाटो को साफ–सुथरा बनाये रखने हेतु सुझाव दिये गये। टीम द्वारा घाट पर बिखरी पूजन सामग्री एवं लावारिस वस्तुओं को हटाकर गंदगीमुक्त किया गया। इस दौरान स्नान एवं पूजा करने वाले श्रृद्धालुओं को नहाने के दौरान साबुन शैम्पू का प्रयोग नही करने व नर्मदा में कपड़े, जूते–चप्पल नहीं धोने व पूजन सामग्री विसर्जन न करने हेतु जागरूक किया गया।

वृक्षारोपण कार्यक्रमों का आयोजन

नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवा योजना) 2015

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ़

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजगढ द्वारा दिनांक 09.12.2021 को स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण केन्द्र, राजगढ़ में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों को नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विधिक सेवा योजना) 2015 की विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान करने के साथ–साथ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं शासन की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित विशेष गतिविधियां

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कटनी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी द्वारा प्रत्येक मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में लगने वाली जन–सुनवाई के दौरान जरूरतमंदों की समस्याओं से संबंधित आवेदन तैयार करने एवं विधिक सहायता से संबंधित आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी प्रेषित किये जाने हेतु पैरालीगल वालेंटियर की ड्यूटी नियत की गयी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर द्वारा भगवान पशुपतिनाथ मेले में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से आमजन को जागरूक किये जाने हेतु विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया एवं मेले में स्टॉल स्थापित कर पैरालीगल वालेंटियर के माध्यम से मेले में आने वाले व्यक्तियों को बैनर एवं पेम्पलेट्स के माध्यम जागरूक किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर द्वारा दिनांक 14.12.2021 को ए.डी.आर भवन में निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागणों ने नेत्र परीक्षण करवाकर शिविर का लाभ उठाया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टीकमगढ

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टीकमगढ द्वारा दिनांक 16.12.2021 को एन.जी.ओ. के समन्वय से कोविड–19 के कारण प्रभावित प्रवासी मजदूर परिवार के दिव्यांग सदस्यों की सहायता हेतु शिविर का आयोजन किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजगढ द्वारा चलित लीगल एड क्लीनिक की स्थापना की गई है, जिसमें पैरालीगल वालेंटियर्स को नियुक्त कर आमजन को योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाती है तथा विधिक सहायता हेतु आवेदन भी प्रदान किये जाते है।

विवाद विहीन ग्राम योजना, 2000

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच द्वारा दिनांक 02.12.2021 को ज्ञान मंदिर विधि महाविद्यालय नीमच में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में विवाद विहीन ग्राम योजना–2000 के अंतर्गत ग्राम को विवाद –विहीन बनाये जाने के उपाय, उसे चिन्हित किये जाने की प्रक्रिया, ग्राम में स्वयं सेवी सेवा दल की भूमिका में बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। ग्रामीणजन के मध्य उत्पन्न होने वाले छोटे–छोटे विवादों का आपसी समझौतों के आधार पर निराकरण करने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजगढ द्वारा दिनांक 13.12.2021 को विवाद विहीन ग्राम योजना 2000 अंतर्गत विवाद विहीन ग्राम श्यामपुरा के ग्रामीणजन के साथ ऑनलाईन माध्यम से विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर ऑनलाईन माध्यम से सम्मिलित हुए ग्रामीणजन को योजना के बारे में जानकारी देने के साथ–साथ विवादों के सुलह समझौता के आधार पर निराकरण किये जाने का आग्रह किया गया तथा ग्रामीणजन की समस्याओं के निराकरण करने हेतु पैरालीगल वालेंटियर्स को निर्देशित किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से ग्रामीणजन का कोविड–19 टीकाकरण भी करवाया गया।

म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2000

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर द्वारा दिनांक 11.12.2021 को पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कमेटी द्वारा 06 प्रकरणों पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें 04 प्रकरण लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम अंतर्गत कुल राशि रू. 6,00,000/— (अक्षरी छः लाख) व 01 हत्या के प्रकरण में राशि रू. 4,00,000/—(अक्षरी चार लाख), इस तरह कुल 05 प्रकरणों में कुल राशि रूपये 10,00,000/— (अक्षरी दस लाख) की राशि पीड़ितों को म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत प्रदान किये जाने हेतु आदेश—पत्र जारी किये गये तथा 01 प्रकरण को उपरोक्त कमेटी द्वारा जांच रिपोर्ट के आधार पर नस्तीबद्ध किया गया।

सफलता की कहानियां.....

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शहडोल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल द्वारा शिशु गृह शिवालय जिला शहडोल में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वहां निवासरत एक बच्चे की एक आंख खराब है एवं उसे काफी तकलीफ का सामना करना पड रहा था। उक्त जानकारी पर सचिव द्वारा शिशु गृह के सहयोग से बच्चे के उचित उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज जबलपुर भेजा गया, जिसके उपरांत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के प्रयास से बच्चे का सफल ऑपरेशन करवाया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शाजापुर

एजुकेशन लोन नहीं मिलने पर, निराश हुई, 02 छात्राओं द्वारा अपने कालेज प्राचार्या से सहायता चाही गई, प्राचार्या द्वारा दोनों छात्राओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शाजापुर से सम्पर्क किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। दोनों छात्राओं द्वारा कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाजापुर में अपनी सारी समस्याएं व्यक्त की गई, जिसके पश्चात् सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाजापुर द्वारा अग्रणी बैंक प्रबंधक एवं शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इंड़िया मक्सी को बुला कर चर्चा की गई। जिसके पश्चात् दोनो छात्राओं का शिक्षा ऋण स्वीकृत करवाया जाकर, छात्राओं के सपनों को पंख दिए और अपने हाथों से स्वीकृत ऋण आदेश छात्राओं को दिये।

पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा कोरोना टीकाकरण में सहयोग

COVID-19 VACCINATION

दो गज की दूरी का रखो ध्यान,
यही है कोरोना का समाधान।

Empowering Women

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा पुलिस विभाग, एन.जी.ओं. के समन्वय से महिलाओं एवं बच्चों पर होने वाली लैगिक हिंसा की रोकथाम, सायबर अपराध, मानसिक स्वास्थ्य विषय, म0प्र0 अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015, घरेलू हिंसा अधिनियम, महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम एवं नालसा एसिड हमले से पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना विषय पर शिविरों एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

विधिक साक्षरता शिविर

लघु विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर
MICRO LEGAL LITERACY AND AWARENESS CAMP
परिवार परामर्श केन्द्र राजगढ़

Legal Services to Children under NALSA Scheme

Organising Inspection, Camp & Workshop For Children

विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर
का आयोजन

नालसा बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं
और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015

विधिक साक्षरता

विधिक साक्षरता शिविर

Legal Services to Senior Citizens under NALSA Scheme 2016

नागरिकों के लिए
साक्षरता शिविर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पैनल अधिवक्तागण हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर द्वारा पैनल अधिवक्तागण हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पैरालीगल वालेंटियर्स हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित विधिक साक्षरता शिविरों की झलकियां....

Seoni, Madhya Pradesh, India
3GHW+CPW, Adhunik Colony, Seoni, Madhya Pradesh 480661, India
Lat 22.07861°
Long 79.546774°
27/12/21 03:25 PM

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा ऑनलाईन माध्यम से आयोजित विधिक साक्षरता शिविरों की झलकियां....

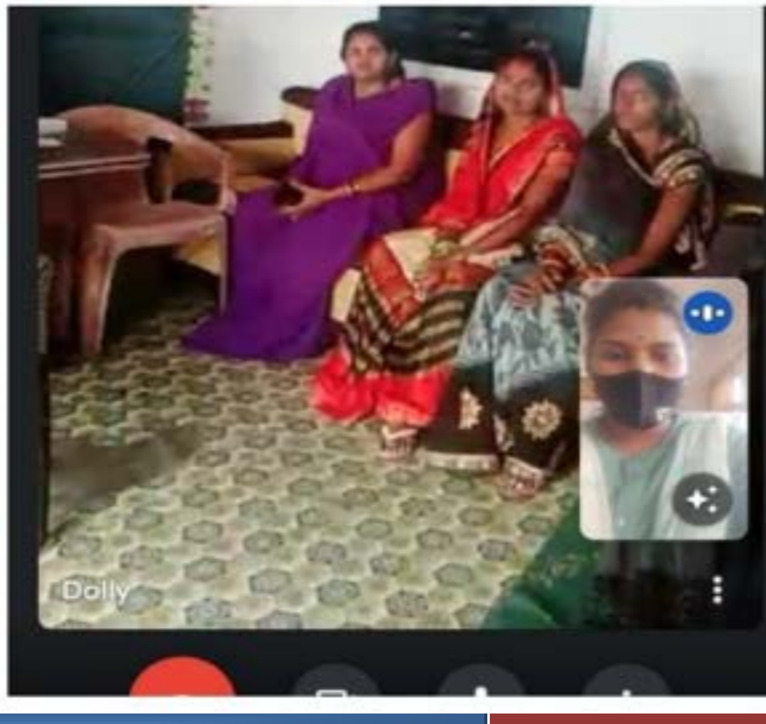

Resolution of Complaint Received Through Legal Aid Helpline- 15100

Legal Issues	Non Legal Issues	Total
38	6	44

-----xxx-----

Media News....

70 हजार से अधिक प्रकरणों का किया गया निराकरण

नेशनल लोक अदालत में वर्षों के गिले-शिकवे चंद मिनटों में हुए

TheHitavada
Jabalpur City Line | 2021-12-11 | Page-1
ehitavada.com

National Lok Adalat in all courts today

Member Secretary of MPSLSA, Rajiv Kamahe in a press conference on Friday.

Correspondent

...ORDANCE with direc... National Legal Services ...y, New Delhi and under ...dance of Justice Ravi ...th, Chief Justice and ...n-Chief, MP State Legal ...Authority and Justice ...gu, Executive Chairman, ...tate Legal Services ...y, Jabalpur, National Lok ...is being organised on ...y in High Court Principal ...alpur and benches at ... and Indore, District ...Taluka Courts, Labour ...Family Courts and oth... in the State," informed ...ber Secretary of MPSLSA, ...rmahe in a press con... on Friday. Nature of ...cases in various courts ...ced under National Lok ...scheduled on 11th ...er 2021 are as follows:- ...l Compoundable Cases, ...138 Negotiable Act, Bank recovery, MACT (Motor Accident Compensation Claim), Labour Dispute, Electricity and Water Tax/Bill related, Matrimonial, Land Acquisition, Service matters related to retirement benefits, Revenue (District only / Pending in the High Court), Civil, Pre-litigation, Bank Recovery related, Labour dispute etc.

In the National Lok Adalat scheduled to be held on 11th December 2021, more than 1350 benches have been constituted across the State and more than 1.85 Lac Pending and more than 3.50 Lac Pre-litigation cases have been referred for disposal.

The general public/litigating parties are requested by Member Secretary, MPSLSA Rajiv Kamahe to get the maximum benefit of the exemption under National Lok Adalat and participate in maximum number. Additional Secretary, Manoj Kumar Singh, Arvind Shrivastava also present in press conference.

TheHitavada
Jabalpur City Line | 2021-12-12 | Page-1
ehitavada.com

70,111 court cases, matters at pre-litigation stage disposed of in National *Lok Adalat*

■ Staff Reporter

Judges, senior office-bearers of MPSLSA along with litigants during the National Lok Adalat.

(Contd on page 2)

TheHitavada
Jabalpur City Line | 2021-12-12 | Page-4
ehitavada.com

Tax issues resolved, over Rs 2.10 cr revenue added during *Lok Adalat*

People making queue at a cash counter to deposit tax during the National Lok Adalat at JMC.

Powered by iDocuments

पीपुल्स समाचार

लोक अदालत जागरूकता रथ रवाना किया

दुर्घटना में मृत की विधवा को 57 लाख मिले, टूटने से बचाए परिवार

11 जुलाई की तुलना में इस लोक अदालत में 32.50 प्रतिशत अधिक प्रकरणों का हुआ निराकरण

कई लंबित मामलों का मौके पर ही किया गया निपटारा

लोक अदालत: मायूस तो कोई खुश लौटा

लोक अदालत सहायक साबित हो रही

धन, समय की होती है बचत

लोक अदालत में कई प्रकरणों में काफी कम राशि में समझौता हुआ

कोरोना से मौत के बाद ससुर और देवर से संपत्ति में मांगा हक, 9 दिन में फैसला

3 करोड़ 83 लाख रुपए एवं एक मकान पर हक दिलाया

न्यायाधीश के कहने पर मृतक की पत्नी को पांच लाख रु. दिए

नेशनल लोक अदालत

पक्षकारों को मिला त्वरित न्याय, खिल उठे चेहरे

70 हजार से अधिक मामलों का मौके पर हुआ निराकरण, दो अरब से अधिक का वितरित किया गया मुआवजा

वीडियो कॉलिंग पर सुलह: जज ने कहा- छोटी मोटी बातें घर पर ही निपटाना, कोर्ट नहीं आना, आज मामला खत्म कर देते हैं, ऑल द बेस्ट

पति-पत्नी में होता था झगड़ा, लोक अदालत में समझौता कर मामला खत्म कराया

पत्नी को भी जोड़ लें क्या वीडियो कॉलिंग पर

अदालत में 4 हजार 208 प्रकरणों का निराकरण कर 8 करोड़ 67 लाख 99 हजार 125 के अवॉर्ड पारित

लोक अदालत में 2364 प्रकरणों का हुआ निराकरण

लोक अदालत पक्षकारों में एकता और भाईचारा बनाए रखने का एक सशक्त माध्यम है: प्रधान जिला न्यायाधीश कालगांवकर

पति ने कहा- न परिजन से फोन पर बात करने से रोकूंगा न कार्यक्रम में जाने से; मान गई पत्नी

विधि महाविद्यालय के छात्रों ने देखी नेशनल लोक अदालत कार्यप्रणाली

एक परिवार को टूटने से बचाया पति-पत्नी में कराया समझौता

राजगढ़-अशोकनगर प्लस 3

खंडपीठ ने सुनवाई कर पक्षकारों की रजामंदी से ...पाए मामले, 25 बिछड़े परिवारों को भी मिलाया

पारिवारिक विवाद के 40 मामलों में सुनवाई कर 25 में कराया समझौता

न्यायाधीश ने दी समझाइश तो 9 साल से अलग रह रही पत्नी ... कोर्ट में ही पति के पैर छुए, बोली- अब हमेशा रहेंगे साथ-साथ

स्टार समाचार

वर्ष की अंतिम जिला लोक अदालत का हुआ आयोजन, 24 खंड पीठों का किया गया गठन

500 लंबित प्रकरण व 2500 प्रिलिगिटेशन प्रकरणों का हुआ निराकरण

एक करोड़ 84 लाख रुपए की समझौता राशि प्राप्त

जिला जज रेणुका ने लोक अदालत का किया शुभारंभ

न किसी की जीत न किसी की हार, यही है लोक अदालत का सार

न्यायाधीश की समझाइश पर साथ-साथ रहने को राजी हुए

...सालों से अलग रह रहे पति-पत्नी को लोक अदालत ने मिलाया

लोक अदालत में हुआ प्रकरणों का निराकरण

आपसी समझौते से सुलझे मामले

कसरावद न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया

सागर

लोक अदालतें प्रकरणों के निराकरण को सबसे सुलभ और सस्ता साधन

पति-पत्नि के बीच भई सुलह

लोक अदालतों से लाभान्वित हो रहे लोग

मनमुटाव दूर कर साथ रहने को हुए राजी

दैनिक हैलो डे

सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय प्रदान करना ही लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है

मध्यस्थता जागरूकता शिविर एवं नेशनल लोक अदालत प्रिसिटिंग बैठक

प्रकरणों का निराकरण, विवाह व चेक बाउंस के मामले सुलझे

इधर... 81 प्रकरणों का हुआ निराकरण

परिवार व समाज की समरसता और एकता में लोक अदालत की भूमिका महत्वपूर्ण है : एडीजे यादव

नेशनल लोक अदालत। तीन खंडपीठों में करीब 87 प्रकरणों का हुआ निराकरण

1351 प्रकरणों का निराकरण, 6 करोड़ से अधिक के अवार्ड पारित

पीपुल्स समाचार

फैमिली कोर्ट में नेशनल लोक अदालत का आयोजन, कई प्रकरण सुलझाए गए

समझाइश के बाद रिश्तों की अहमियत समझी, गिले-शिकवे भुलाकर हुए एक

3 हजार केसों में 87 करोड़ रु. के अवॉर्ड किए पारित

पति ने दहेज को पूरा किया

16 साल का रिश्ता यूं ही नहीं टूटना

नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों की सहमति से 21721 मामले हुए निराकृत

मिले 20 करोड़ 20 लाख

भारत मत

नेशनल लोक अदालत के माध्यम से पुरानी अदावत को भूल एक दूसरे को गले लगाया

पति पत्नी के विवाद के दो प्रकरणों में हुआ आपसी सुलहनामा

जेल बंदियों ने उपयोगहीन भूमि को सब्जियां उगाने किया विकसित

कटनी/ब्यूरो

जिला न्यायाधीश एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दिनेश कुमार नोटिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास चौहान तथा प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड श्वेता शर्मा द्वारा मंगलवार को जिला जेल कटनी का निरीक्षण किया गया। सचिव श्री नोटिया ने जेल में निरुद्ध बंदियों की समस्यायें सुनते हुये उनके निराकरण हेतु जिला जेल कटनी के अधीक्षक एवं अन्य अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। जेल निरीक्षण के साथ ही जिला जेल कटनी में निरुद्ध बंदियों के लिये जागरूकता हेतु विधिक साक्षरता/जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। सचिव श्री नोटिया ने बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता योजना, प्ली-बार्गेनिंग एवं अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी प्रदान की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक माह जिला जेल कटनी का निरीक्षण के दौरान निरुद्ध बंदियों के लिये विधिक योजनाओं से जागरूक किये जाने के उद्देश्य से विधिक साक्षरता/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। शिविरों के दौरान सचिव दिनेश कुमार नोटिया द्वारा जेल बंदियों को विधिक संबंधी विभिन्न प्रकार की लाभप्रद एवं बहुमूल्य जानकारियां प्रदान करने के साथ ही बंदियों की प्रतिभाओं के आधार पर उनको अलग-अलग क्षेत्रों में मेहनत करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। जेल निरीक्षण के दौरान सचिव श्री नोटिया ने जिला जेल कटनी की अधीक्षक लीना कोष्ठा से जेल बंदियों के बौद्धिक विकास हेतु जेल की उपयोगहीन भूमि को गार्डन के रूप में विकसित कर उसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां तथा पुष्प पौधों को रोपित कराये जाने अनुरोध किया था, जिस पर से जेल अधीक्षक लीना कोष्ठा द्वारा उक्त कार्य में रूचि लेते हुये जेल बंदियों की सहायता से जेल में मौजूद उपयोगहीन भूमि में विभिन्न प्रकार की सब्जियां लगवायी गयी। उन्होंने बताया जेल परिसर में इन सब्जियों का उपयोग जेल में स्थित रसोई घर में किया जाता है। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी द्वारा जेल अधीक्षक लीना कोष्ठा के उक्त प्रयास को सराहनीय बताते हुये, जेल बंदियों एवं कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुये उन्हें बधाई दी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मेहनत रंग लाई

बुजुर्ग दंपती के परिवार को बिखरने से बचाया

TheHitavada

MPSLSA holds awareness, health camp for transgenders

ट्रांसजेण्डर को मुख्य धारा में लाने प्रदेश स्तर पर जागरूकता के साथ संवेदीकरण कार्यक्रम भी होंगे : राजीव कर्महे

फिल्म से ट्रांसजेंडर्स को किया जागरूक

विश्व एड्स दिवस पर आयोजन

जबलपुर| मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व कार्यपालक अध्यक्ष प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू के मार्गदर्शन में विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में ट्रांसजेंडर्स के लिए बुधवार को जागरूकता व स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से आयोजित किया गया। इस दौरान एड्स रोग से संबंधित लघु वीडियो फिल्मों के माध्यम से ट्रांसजेंडर्स को जागरूक किया गया। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉ. रत्नेश कुररिया, राजीव कर्महे, डॉ. धीरज दवंडे, जितेंद्र मोहन धुर्वे ने आवश्यक जानकारी दी। ट्रांसजेंडर समुदाय से अब्दुल रहीम, कशिश चौहान, बृजमोहन की मौजूदगी रही।

काली पट्टी बाँधकर जताया विरोध- देश में एचआईवी/एड्स की रोकथाम में कार्यरत स्टाफ का वेतन पुनरीक्षण वर्ष 2017 से नहीं हुआ है। जल्द से जल्द पुनरीक्षण की माँग को लेकर मप्र एड्स कंट्रोल एम्प्लॉई यूनियन के बैनर तले एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लैब टेक्नीशियन्स ने बुधवार को एड्स दिवस पर काली पट्टी बाँधकर विरोध जताया। लैब टेक्नीशियन्स सामूहिक अवकाश पर रहे।

Thu, 02 December 2021
दैनिक भास्कर https://epaper.bhaskarhindi.com/c/64703183

नुक्कड़ नाटक से दिया एड्स से बचाव का संदेश

स्वास्थ्य विभाग ने एड्स दिवस पर निकाली जागरूकता रैली, हुई स्पर्धाएं

एड्स रोगी को भी सामान्य जीवन का अधिकार उसे समाज से अलग नहीं किया जाना चाहिए

ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए लगाया जागरूकता व स्वास्थ्य शिविर

मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का आयोजन

रैली और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किया जागरूक

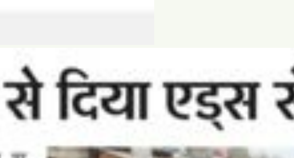

ग्रामीणों को दी एड्स बीमारी की जानकारी

लोगों को जागरूक कर मनाया एड्स दिवस

एचआईव्ही एड्स से बचाव है केवल सावधानी और सुरक्षा

विश्व एड्स दिवस के अवसर पर निकाली गई जागरूकता रैली

विश्व एड्स दिवस पर जेल में रक्त परीक्षण शिविर लगाया, जागरूकता रैली निकाली

विश्व एड्स दिवस पर जिला अस्पताल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

एड्स जागरूकता रैली निकाली गई

रेड रिबन लगाकर एवं जागरूकता शिविरों का आयोजन कर विश्व एड्स दिवस मनाया

विश्व एड्स दिवस पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

हाईकोर्ट ने तैयार किए 72 स्वयंसेवक, कराएंगे सुलह

मध्यस्थता क्लीनिक से करेंगे काम

मध्यस्थता प्रशिक्षण | सामुदायिक मध्यस्थता कार्यक्रम के तहत हाईकोर्ट की पहल

3 करोड़ से ज्यादा ऐसे केस जो आपस में बैठकर सुलझा लेंगे

यह बोले सामाजिक कार्यकर्ता

इन समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे

भास्कर खास • हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ के प्रशासनिक जज सुजॉय पाल की अनूठी पहल

घर के विवाद घर में ही सुलझ जाएं... इसलिए 16 समाजों के वरिष्ठजनों को हाईकोर्ट दे रहा ट्रेनिंग

हफ्ते में 20 घंटे का प्रशिक्षण : धाराएं समझा रहे, सुनवाई के तौर-तरीके बता रहे

कोर्ट से निराकरण के बाद भी विश्वास का वातावरण नहीं बनता

समझौता कराने में भगवान कृष्ण की भूमिका निभाएं

आईना विचारों का...

सीहोर। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीष एवं अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर श्री आर.एन. चंद के मार्गदर्षन एवं गरिमामय उपस्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.11.2021 को समय 02:00 बजे से जिला पंचायत सीहोर में विधिक साक्षरता षिविर का आयोजन किया गया जिसमें श्री आर.एन. चंद माननीय प्रधान जिला न्यायाधीष/अध्यक्ष महोदय, श्री मुकेष कुमार दांगी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर, श्री संजय कुमार शाही प्रथम जिला न्यायाधीष एवं श्री हर्ष सिंह जिला पंचायत सीईओ सीहोर, श्री अनीस अब्बासी जिला विधिक सहायता अधिकारी सीहोर, श्री सिद्धगोपाल वर्मा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सीहोर एवं ग्रामों पंचायतों के सरपंच उपस्थित हुए।

चलित विधिक सेवा केंद्र : जो जहां मिला वहीं समझाया कानून

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

ब्यावरा. कानून की समझ पैदा करने, विभिन्न अधिकारों की जानकारी देने और कानूनी अन्य बारीकियां बताने के लिए विधिक सहायता शिविर न्यायालय द्वारा लगाए जा रहे हैं इसी कड़ी में चलित विधिक सेवा केंद्र की शुरुआत भी की गई। जिसमें वॉलंटियर्स द्वारा जो जहां मिल रहा है उसे वहीं कानूनी, न्यायिक जानकारियां दी जा रही हैं। रविवार को पैरा लीगल वॉलिंटियर देवनारायण दांगी ने कानूनी जानकारी राहगीरों को दी। उन्होंने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर स्टॉल लगाकर चलित विधिक सेवा केंद्र पर कानूनी बारीकियां आमजनों को बताई। जिला विधिक सहायता अधिकारी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नेतृत्व में आयोजित है। जिसमें पात्र हितग्राहियों को विभिन्न जानकारियां दी जा रही हैं।

जज और अधिकारियों बुजुर्गों से सुने भजन, बच्चों के साथ खेली बॉलीबॉल

आजादी के अमृत महोत्सव के तहत महाविद्यालय में मनाया

मानव अधिकार दिवस

बाल भवन और वृद्धाश्रम में आयोजित किया विधिक शिविर

दमोह। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा दिये गये निदेशों के तहत डिविजनल जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेणुका कंचन के मार्गदर्शन में बाल भवन दमोह में गत दिवस विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी मुन्ना शर्मा एवं बाल भवन दमोह बच्चे के एवं स्टॉफ उपस्थित रहे।

पैरालीगल वालेंटियर प्रशिक्षण आयोजित

विधिक सहायता शिविरः जेल बंदी हो या आम नागरिक, सभी के अधिकार समान हैंः अपर जिला न्यायाधीश

श्यामपुरा गांव में शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन का रखा लक्ष्य

24 ग्रामीणों को बीमारी से ठीक कराया

घरेलू हिंसा पीड़िताओं को बताए कानूनी अधिकार

किसान दिवस पर मंडी में विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन

शिविर में किसानों को दी गई जानकारी

दैनिक भास्कर
सागर, बुधवार, 8 दिसंबर, 2021 | 14

धर्म ▸ समाज ▸ संस्था

स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

बाल सम्प्रेषण गृह में जागरूकता शिविर सम्पन्न

वरिष्ठ नागरिकों को भी हैं विधिक अधिकारः विपिन

मिडिएशन जगरुकता शिविर का आयोजन

कोई भी सामान या सेवा लेने से पहले अच्छी तरह परखना चाहिएः दांगी

पांच लाख रुपए तक वाद प्रस्तुत करने पर कोई शुल्क नही

जागरण, सीहोर। गुड गवर्नेंस सप्ताह के तहत टाउन हाल में उपभोक्ता दिवस के एक दिन पूर्व आयोजित उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर अपर जिला जज एमके दांगी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है और उपभोक्ताओं के हितों का उपभोक्ता फोरम और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत संरक्षण किया जाता है। उपभोक्ताओं को भी प्रत्येक वस्तु क्रय करते समय या कोई सेवा लेते समय भलीभांति अच्छे से परख लेना चाहिए। वस्तु या सेवा गुणवत्तापूर्ण नही होने पर या अधिक दाम लेने पर संस्था के विरुद्ध जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में शिकायत दर्ज कराना चाहिए। उन्होंने उपभोक्ताओं को जागरूक रहकर सेवाएं या वस्तुएं लेने की अपील की है। कार्यक्रम में कलेक्टर चन्द्र मोहन ठाकुर ने कहा कि कोई भी वस्तु अच्छी तरह जांच परख कर लेना चाहिए। हम जो वस्तु या सेवा ले रहे है उसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। यदि लगता है कि हम ठगे गये है तो उसकी तुरंत शिकायत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह संस्था का दायित्व है कि वह निर्धारित मानकों के तहत अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करें। कलेक्टर श्री ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में उपभोक्ताओं से संबंधित प्रकरणों का निराकरण भोपाल स्थित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग से हो रहा है। उन्होंने कहा कि सीहोर जिले में भी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। वर्तमान में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में वर्तमान वर्ष में 318 परिवाद के प्रकरण दर्ज किए गए है। कार्यक्रम के आरंभ में जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एसके तिवारी ने उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अपर जिला जज श्री दांगी एवं कलेक्टर श्री ठाकुर ने खाद्य विभाग तथा लोक सेवा प्रबंधन द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।

पांच लाख रुपए तक वाद प्रस्तुत करने पर कोई शुल्क नही लगेगी

पांच लाख रूपये तक जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में प्रकरण दर्ज करने पर कोई शुल्क नही लगेगी। पांच लाख से अधिक के मामलों में एक रूपये से पांच लाख रूपये तक निल, पांच लाख रुपए से ऊपर एवं दस लाख तक 200 रूपये, दस लाख से ऊपर एवं बीस लाख रुपए तक 400 रुपए, बीस लाख से ऊपर एवं पचास लाख रूपये तक एक हजार रूपये तथा पचास लाख से ऊपर एवं एक करोड़ रुपए तक दो हजार रूपये का शुल्क लगेगा।

मदर टेरेसा आश्रम में किया कार्यक्रम का आयोजन

विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर शिविर आयोजित

हरिभूमि

शिविर | मॉडल स्कूल में मना मानव अधिकार दिवस

विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया आयोजन

जिला जेल में निरुद्ध बंदियों के लिए आयोजित किया स्वास्थ्य शिविर

विधिक साक्षरता शिविर एवं निरीक्षण संपन्न

कृषि विज्ञान केन्द्र में विधिक साक्षरता शिविर

एक दिवसीय पैनल लॉयर प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ

विधिक जागरूकता शिविर संपन्न

दैनिक भास्कर | शाजापुर 29-12-2021

बैंकों ने एजुकेशन लोन से मना किया, न्यायाधीश ने विधि साक्षरता बढ़ाई तो शिक्षा ऋण स्वीकृत

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में हुआ शिविर

हम जैसे-जैसे पढ़ते जाते हैं, वैसे ही हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाता हैः न्यायाधीश

न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

M.P. State Legal Services Authority

574, South Civil Lines, Jabalpur - 482001

Website : mpslsa.gov.in email : mplsajab@nic.in Toll Free No. 15100